अनुलग्नक-च

वन विभाग बिहार सरकार एवं भारत सरकार द्वारा लगाई गई मानक शर्तों के मान्य होने का प्रमाण पत्र

1. भूमि हस्तांतरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भांति रक्षित/ आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जाएगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग/संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाए कि मांगी गई भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तांतरित विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाएंगे और ऐसा किए जाने पर संबंधित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजा का भुगतान उस विभाग को करना होगा।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से संबंधित, वनाधिकारी की देखरेख में कराएगा तथा इस संबंध में बनाए गए मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तांतरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तांतरित विभाग को आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन संपदा के आधारित एवं वन जंतुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तांतरण यथासंभव प्रस्तावित ना किया जाए केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना संभव होगा ।परंतु प्रतिबंधित यह होगा कि वन संपदा की क्षतिपूर्ति एवं वन जंतुओं से संबंधित विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तांतरित की जाएगी।
9. सिंचाई विभाग/इस विभाग द्वारा वन विभाग के नर्सरीयों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को नि:शुल्क जाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तांतरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग/संस्थान या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित करने पर वन भूमि स्वत: बिना किसी प्रकार के प्रतिकार का भुगतान किए विभाग की संपत्ति हो जाएगी। वन स्वत: बिना किसी प्रतिकार का भुगतान किए वन विभाग को प्राप्त हो जाएगी।

18/01/2022

विनय कुमार / Vinay Kumar
प्रबंधक (पर्यावरण लाइन निर्माण)/Chief Manager (TLC)
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
ERTS-I, 400/220/132 KV Sitamarhi Sub-Station
जिला-सीतामढ़ी, बिहार-843302
Dist.-Sitamarhi, Bihar-843302

11. सड़क निर्माण में प्रस्तावों पर एलाइनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर विभाग का परामर्श प्राप्त ना होगा। इस संबंध में मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता पर्वतीय क्षेत्र पौड़ी को संबोधित पत्र संख्या 608 डी दिनांक 10.02.1982 निहित आदेशों का पालन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। वन मार्ग अथवा वन भागों के मामले में फेर बदल का याचक विभाग के सर्वे से पर्याप्त ना होगा और नई सड़क का निर्माण भी आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य संबंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत मूल्य संबंधित प्रमाण पत्र के आधार पर आकलन होगा जो याचक को मान होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा बिहार सरकार वन विभाग अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया को वन विभाग उचित समझ द्वारा किया जाएगा। यदि किसी कारण से पूर्व निस्तारण वन विभाग द्वारा संभव ना हो सके और उनके पतन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।
14. हस्तांतरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तांतरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर 10 पेड़ों का रोपण कथा 3 वर्षों तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाएगा का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर ऊंचाई एवं 30 से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पालन में निश्चित है। इसी प्रकार अन्य विभागों में पेड़ का पातन भी वांछित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथासंभव पेड़ों का कटान नहीं किया जाएगा तथा खंभा को ऊंचा करके ऐसा सुनिश्चित किया जाएगा ।इसके संबंधित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक होगा।
16. यदि नाहर आदि के निर्माण में भूखंड की संभावना होती है कुछ नाहर की दोनों पटरीयों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है तो याचक विभाग अपने व्यय से बनवायेगा।
17. उक्त लिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार वन विभाग स्तर पर किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती है तो याचक विभाग को मान्य होगा।
18. वन भूमि वास्तविक हस्तांतरण सभी प्रपत्र व शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाए अथवा उनका समुचित स्तर के अश्वासन प्राप्त हो जाए।

18/04/2022

विनय कुमार / Vinay Kumar
मुख्य प्रबंधक (प्रसारण लाइन निर्माण)/Chief Manager (TLC)
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
ERTS-I, 400/220/132 KV Sitamarhi Sub-Station